

10-01-2023 प्रकरण V.C के माध्यम से  
सुनवाई में लिया गया।

आवेदक स्वतः उपर।

अनावेदक मृतः

आवेदक द्वारा मृत अनावेदक के  
विधिक प्रतिनिधि (legal representative)  
, विधिक वारिसान (legal heir) अथवा  
हित उत्तरावली (Successor in interest)  
की जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

आवेदक ने व्यक्त किया कि काफी  
प्रयासों के बाद भी मृत अनावेदक  
के विधिक प्रतिनिधि एवं हित उत्तरावली  
की जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है

प्रकरण का अवलोकन किया  
गया। अवलोकन से दर्शाते हैं

प्रकरण क्रमांक : 504 21-2-22

प्रकरण दर्ज दिनांक .....

आवेदक : चंद्र लाल सागर vs सुड उन्कारे

CGRERA-P-Exam PRO-2021-01432

कि आवेदक को भूतः अनावेदक के विधि  
प्रतिविधि, कारिजान, दिह उत्तरावली को  
अभिलेख पर लाए जाने के अन्तर्गत  
प्राप्त, उचित, लक्षणात्मक अवसर प्रदान  
कि ~~अनावेदक~~ के गले किन्तु आवेदक इस संबंध  
में कार्यवाही करने में अक्षम है।  
इन परिस्थितियों में आवेदक विधान  
के अन्तर्गत आवेदन कि ~~कारिजान~~  
किसके विरुद्ध करना चाहता है यह  
स्पष्ट एवं स्थापित नहीं है। अतः इस  
कारण को विधान सम्य एवं परिस्थितियों  
में आवेदक के निष्पादन आवेदन को  
स्वारिज करने के अलावा अन्य विकल्प  
नहीं है। अतः प्रकरण स्वारिज विचार जाता है  
परिणाम ही कर अभिलेख अभिलेखकार  
रखना है।

(दीपा फटारे)  
न्याय निर्णायक अधिकारी  
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण  
छत्तीसगढ़, रायपुर